<u>पश्चिम मध्य रेल</u>

क.सीएससी/जेबीपी/अभियोजन/15.

कार्यालय
महानिरीक्षक–सह–मुख्य सुरक्षा आयुक्त
रे.सु.ब./प.म.रेल/जबलपुर
दिनांक–31.07.2015

सीआई ओ/आईटी सेल/मुख्यालय
<u>पश्चिम मध्य रेल/जबलपुर</u>

विषय–माह जून–2015 में पश्चिम मध्य रेल के क्षेत्राधिकार में रेल अधिनियम एवं रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण।

*****

उपरोक्त विषय में सुरक्षा विभाग से संबंधित जानकारी ई–मेल के माध्यम से भेज दी गई है साथ ही हार्ड कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया संलग्न जानकारी पश्चिम मध्य रेल की वेब साइड में अंकित करने का श्रम करें।

संलग्न/– 04 पेज ।

सहायक सुरक्षा आयुक्त, अभियोजन
<u>रे.सु.ब./मुख्यालय/जबलपुर</u>

रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह जून–2015

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
जून–2015	29	29	82780	82780	51	00	00

बुकशुदा रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह जून–2015

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
जून–2015	00	00	00	00	00	00	00

रेल सामग्री की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह जून –2015

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
जून–2015	29	29	82780	82780	51	00	00

धारा	दर्ज प्रकरणों की संख्या	जुर्माना स्वरूप वसूली गई राशि
137	2443	1288777
138	16835	8059660
139	0	0
141	621	266140
142	0	0
143	6	0
144	1171	407385
145	705	84100
146	15	8800
147	303	96850
153	1	0
154	18	79500
155	886	25550
156	190	18800
157	0	0
159	673	100400
160	11	1500
161	0	0
162	727	51700
163	0	0
164	1	0
165	0	0
166	0	0
167	36	3550
172	0	0
173	0	0
174	16	8500
175	0	0
176	0	0
180(g)	0	0

रेल अधिनियम के तहत माह जून 2015 में की गई कार्यवाही का विवरण

रे.सु.ब./पमरे द्वारा माह के दौरान किये गये अन्य अच्छे कार्यो का ब्यौरा :-

(i) दिनांक 04.06.2015 को यात्री उपभोक्ता पखवाडा अभियान के दौरान छनेरा स्टेशन पर उपनिरीक्षक विपिन कुमार, सउनि श्री हरीसिंह परस्ते को गाडी क्रमांक 51188 कटनी भुसावल पैसेजर की चैकिंग के दौरान प्लेटफार्म परे एक बच्ची मिली बाद उपनिरीक्षक विपिन कुमार द्वारा उदघोषण कराई गई। परिणाम स्वरूप कुछ समय बाद लड़की के नाना श्री रतन सिंह पुत्र हीरा लाल उम्र 65 साल जाति बंजारा निवासी ग्राम सांतपापटी थाना नेपानगर जिला बुरहानपुर रेसुबल आउट पोस्ट पर उपस्थित हुये बाद दो स्वतंत्र गवाहो के समक्ष बच्ची को सुरक्षित उसके नाना को सुपुर्द किया गया।

(ii) दिनांक 12.06.2015 को गाडी सं. 19024 जनता एक्सप्रेस के भरतपुर आगमन पर आर. सुरेश सिंह द्वारा शक होने पर एक बच्चे से पुछताछ किया जिसने अपना नाम-शिवम कुमार चौरसिया पुत्र अशोक चौरसिया उम्र-13 साल निवासी-मकान नं. 30/9 वजीराबाद गली नं. 12 हनुमान मन्दिर के पास थाना-तिमालपुर जिला- सिविल लाईन दिल्ली बताया, तथा घर से बिना बताये भागकर आना बताया। उक्त बालक को रेसुब थाना भरतपुर लाये, उसके घर वालों को उसके बताये नम्बरों 9868643568 पर सुचना दी गई, जिस पर उसके पिता अशोक चौरसिया के थाना उपस्थित होने पर सउनि यतेन्द्र सिंह द्वारा सुपुर्दगीनामा के तहत सुपुर्दगी दी गई।

(iii) दिनांक 13.06.2015 को गाडी सं. 19715 जयपुर-लखनऊ एक्सप्रेस के भरतपुर आगमन पर कोच एस/4 में बर्थ नं. 41,44 पर यात्रा कर रहे यात्री मो. असीम सलीम पुत्र श्री कमाल सलीम उम्र-28 साल जाति-मुसलमान निवासी-डी/8 न्यू हैदरगंज, लखनउ ने बताया कि नदवई स्टेशन स्टार्ट होते ही नमकीन बिस्कूट बेचने वाले ने उसका एप्पल आईफोन-6 मोबाईल कीमत 58000/-रूपये छीनकर भाग गया। सउनि यतेन्द्र सिंह ने उक्त सूचना रेसुब कन्ट्रोल रुम आगरा को दी गई। आगरा द्वारा नदवई स्टेशन में तैनात आर. गजेन्द्र सिह, आर. ध्रुप सिंह को सूचना दी एवं चोरी करने वाले व्यक्ति नाम-भोलू उर्फ मोहित पुत्र शीतल सिंह उम्र-20 वर्ष, जाति-बनिया निवासी कटरा, नदवई थाना-नदवई जिला-भरतपुर को पकडवाया। आरोपी के विरूद्ध जीआरपी अ.क्र-64/2015 धारा 356, 380 भादंसं कायम कर जांच में लिया। जाच एसएचओ जीआरपी भरतपुर कर रहे है।

(iv) दिनांक 13.06.2015 को गंजबासोदा आउट पोस्ट एक महिला नाम- नाम गिरिजा बाई पत्नी रामसिंह निवासी दौजियाई थाना तहसील बैरसिया जिला भोपाल रोती हुई आयी जिसनें उपनिरीक्षक श्री हरनाम सिंह यादव को बताया कि दिनांक 13.06.2015 को उसका 05 वर्षीय पुत्र राहुल सुबह 07.00 बजे से घर से लापता है। यदि स्टेशन क्षेत्र में मिलता है तो सूचित करने की कृपा करें। बाद उपनिरीक्षक द्वारा गुम हुये बालक के संबंध में उदघोषणा कराई गई । कुछ समय पश्चात एक यात्री जो कि

गंजबासोदा से भोपाल जा रहा था ने उपनिरीक्षक को बताया कि एक 05 वर्षीय बालक जो अपना राहुल बता रहा है सावरकर चौकर पर भटक रहा है। बाद उपनिरीक्षक द्वारा रेसुबल आउट पोस्ट गंजबासोदा लाया गया। बालक को उसकी माता-पिता के सुपुर्द किया गया।

(v) दिनॉक 14.06.2015 को गाड़ी नं.12541 की स्कार्ट पार्टी प्र.आ. जयराम मय स्टाफ के द्वारा खंडवा निकलते ही एसीपी करने वाले एक व्यक्ति को पकडकर अग्रिम कार्यवाही हेतु रेसुब इटारसी पोस्ट पर सुपुर्द किया गया, इटारसी पोस्ट पर पकडे गये व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसके द्वारा विभिन्न एवं तरह-तरह की बातें कर रहा है जिससे प्रतीत हो रहा था कि वह मानसिक रूप से बीमार है पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम फैयाज आत्मज बदरूद्दीन अंसारी उम्र-23 निवासी-म.न. 666 ब्लॉक ई-112 टेनामेंट बापूराव जगताप मार्ग भायखला मुंबई बताया। तथा मानसिक बीमारी का ईलाज अपने फूफा के यहॉ लखनउ में होना बताया। मानसिक रूप से बीमार होने के कारण एसीपी का प्रकरण दर्ज नही किया गया। बाद उसके पिता बदरूदीन अंसारी के मोबाईल नंबर 09892260409 पर सूचना दी गई उसके पिता द्वारा मानसिक रूप से बीमार होना बताया। उसके पिता द्वारा फूफा जुवेर को इटारसी भेजा गया समक्ष गवाहन सुपुर्दगी नामा के तहत फैयाज को उसके फूफा के सुपुर्द किया गया।

(vi) दिनांक 14.06.2015 मंडल अपराध शाखा भोपालप टीम-उपनिरीक्षक आर.के.यादव, सउनि आर.के. चंदेल, आरक्षक रुपेश पवार, आरक्षक राकेश कोटवर एवं आरक्षक मक्खन लाल अहिरवार द्वारा दिनांक 14.06.2015 को रेलवे स्टेशन भोपाल के पीआरएस कार्यालय मे जाकर रेड की गई, एक व्यक्ति को पकडा जिसने अवैध रूप से टिकटों का धंधा करना स्वीकार किया। उसने अपना नाम असलम खान पुत्र रसीद खान उम्र 40 वर्ष निवासी मकान नंबर 24 सिकंदरी सराय भोपाल म.प्र.बताया। आरोपी उक्त के विरूद्ध भोपाल पोस्ट पर अपराध क्रमांक 2270/2015 धारा 143 रेल अधिनियम के तहत दिनांक 14.06.2015 को मामला दर्ज किया गया।

(vii) दिनांक 17.06.2015 को रेसुबल पोस्ट इटारसी स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 07 पर प्रधान आरक्षक श्री सौदान सिंह को डियूटी के दौरान एक बालक लावारिस हालत मे घूमता मिला पूछताछ करने पर उक्त बच्चे ने अपना नाम मनीष डावर पिता बजरिया डावर उम्र 07 साल निवासी हर्षा नगर सेंघवा जिला खरगोन बताया तथा बताया कि वह घर से भागकर आया है। जिसे जीवोदय संस्था इटारसी के तेज सिंह राजपूत को पोस्ट पर बुलाकर उक्त बच्चे को उन्हे सुपुर्द किया गया।

(viii) दिनांक 21.06.2015 को रेसुबल पोस्ट भोपाल के सउनि आर के बौराशी हमराह आरक्षक रोहित सिंह चंदेल भोपाल स्टेशन मेनगेट पर सुरक्षा व्यवस्था के लिये तैनात थे उसी दौरान एक बालक रोते हुआ दिखाई दिया, पूछने पर बालक ने अपना नाम इरफान बताया। बाद उद्घोषणा कराये जाने पर बालक के पिता आये। सउनि द्वारा पाये गये बालक को उसके पिता के सुपुर्द किया गया।

(ix) दिनांक 25.06.2015 को दौराने गस्त सउनि जवाहर सिंह का समय 16.20 बजे एक लावारिस बच्चा मिला पूछने पर उसने अपना नाम-गोलू पुत्र सज्जा उम्र-09 साल जाति-मुसलमान निवासी-गोरखपुर स्टेशन के पास बताया। इस पर चाईल्ड हेल्प लाईन में सूचना दिया तथा वहां से आये दो स्टाफ श्री बालकृष्ण शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा मो0 805843769 तथा प्रेमराज परनामी पुत्र खुशीराम मो0 9461291098 को सुपुर्द किया।

(x) दिनॉंक 26.06.2015 को जबलपुर स्टेशन पर सउनि श्री संतोष कुमार मिश्रा को दौराने गस्त लाल टीशर्ट, नीला जींस पहने हुए एक गेहूँआ रंग का लड़का लावारिस हालत में घूमता हुआ मिला जिसे

रेल सुरक्षा बल पोस्ट जबलपुर लाकर पूछताछ किये तो उसने अपना मोहम्मद अली पुत्र मोहम्मद इजराईल, उम्र 15 वर्ष बताया बाद चाईल्ड लाईन जबलपुर को सुपुर्द किया गया।

(xi) दिनांक 27.06.2015 को उप निरीक्षक एस.के. गौतम रेल सुरक्षा बल पिपरिया द्वारा रेल सुरक्षा बल इटारसी पोस्ट पर सूचना दी गयी कि एक यात्री श्याम नेगी जिसके दो बच्चे करीना नेगी व हैपी नेगी गाड़ी क्रमांक 12321 के सामान्य कोच में बैठ गए है लेकिन उनके माता पिता पिपरिया में ही छूट गए है। उक्त सूचना पर रेसुबल पोस्ट इटारसी से उपनिरीक्षक जयभारत हमराह स्टाफ के साथ गाड़ी के इटारसी आगमन पर अटेण्ड किया गया जहॉ सामान्य कोच ईआर 14434 में उक्त दोनों बच्चे मिले जिन्हें सकुशल उतारकर पोस्ट पर लाया गया बाद उक्त बच्चों के पिता श्याम सिंह नेगी के उपस्थित होने पर जिन्हें सुपुर्दगीनामा के तहत समक्ष गवाहन बच्चों को सुपुर्द किया गया।

(xii) दिनांक 29.06.2015 को इटारसी स्टेशन पर ड्युटी पर तैनात सहायक उप निरीक्षक श्री कमल सिह यादव को भोपाल से सूचना प्राप्त हुयी कि गाडी नं. 12628 कर्नाटक एक्स. के कोच बी 03 में बर्थ नं. 37, 38 पर श्री राकेश कालरा निवासी डी स्टार 302 सागर रॉयल विला होशंगाबाद रोड भोपाल,उक्त गाडी में नई दिल्ली से भोपाल की यात्रा पर थे, भोपाल स्टेशन पर उतरते समय उनका एक काले रंग का बैग जिसमें अति जरुरी कागजात, कीमती सामान, एक लैपटाप एवं चाबिया है, गाडी में ही छूट गया है। सूचना पर उक्त सहायक उपनिरीक्षक द्वारा गाडी नं. 12628 को अटैंड कर उक्त बैग उतरवा कर रेसुब हबीबगंज पोस्ट पर भिजवाया गया। हबीबगंज पोस्ट द्वारा उक्त बैग को श्री राकेश कालरा को सुपुर्दगी नामा के तहत सुपुर्द किया गया।

(xiii) इस माह में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अभियान चलाकर धूम्रपान करते हुए पाये जाने पर 706 व्यक्तियों के विरुद्ध तम्बाकु अधिनियम (Prohibition of advertisement and regulation of trade, production, supply and distribution Act, 2003) के तहत कार्यवाही करते हुए उनसे 1,41,200/- रू. का जुर्माना वसूल किया गया।

-----0000------